राजस्थान—सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांक : न्यायालय / 2024 / 06/2024 दिनांक : 29.02.2024

::आदेश::

प्रार्थी श्री मोहम्मद अशफाक अंसारी पुत्र रूस्तम अली अंसारी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता का पेश कर प्रार्थी के वाहन टाटा मोटर्स जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर RJ51 GA0808 है, जिसे पुलिस द्वारा मुकदमा संख्या 795 / 2023 पुलिस थाना, प्रतापनगर भीलवाड़ा के अपराध अंतर्गत धारा 3,5,6,8 राज0 गोवंश अधिनियम, 1995 में जब्त किया है एवं पुलिस को तफतीस में उक्त वाहन की अब कोई आवश्यकता नही होने से प्रार्थी को सुपूर्द कराये जाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में प्राप्त करने हेतु संतुष्टि प्रतिभूति व स्वयं का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत किया है।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी वाहन का पंजीकृत स्वामी है एवं प्रार्थी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति ने जप्तशुदा उक्त वाहन का सुपुर्द किये जाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र या क्लेम पेश नहीं किया है। उक्त वाहन की अभियोजन अधिकारी / अनुसंधान अधिकारी ने प्रकरण में फिलहाल आवश्यकता होना जाहिर नहीं किया है। अतः जप्तशुदा वाहन का नियमानुसार निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएव पुलिस द्वारा जप्त किये गये वाहन टाटा ट्रक, रजिस्ट्रेशन नंबर RJ51 GA0808 जिसके ईंजन नंबर 31E84107837, चेचिस नंबर MAT466420D5E84467 को प्रार्थी को निम्न शर्तो पर अंतरिम रूप से सुपूर्द किये जाने का आदेश दिया जाता है, यदि प्रार्थी—

1. वाहन को जब भी न्यायालय तलब करेगा, तब प्रार्थी वाहन को स्वयं के खर्चे पर पेश करेगा।
2. वाहन के रंग रोगन / आकार—प्रकार में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेगा।
3. वाहन को बिना न्यायालय की अनुमति के खुर्द—बुर्द नहीं करेगा।

इस संबंध में विपक्षी थानाधिकारी, प्रतापनगर, भीलवाड़ा को इस आशय की तहरीर अविलम्ब जारी हो कि यदि पुलिस को किसी अन्य मामले में उक्त वाहन की आवश्यकता नहीं हो तो उक्त आदेशानुसार उक्त वाहन टाटा ट्रक, रजिस्ट्रेशन नंबर RJ51 GA0808 जिसके ईंजन नंबर 31E84107837, चेचिस नंबर MAT466420D5E84467 प्रार्थी को सुपुर्द किया जावें।

29/2

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. थानाधिकारी, पुलिस थाना प्रतापनगर, जिला भीलवाड़ा।
2. श्री मोहम्मद अशफाक अंसारी पुत्र रूस्तम अली अंसारी निवासी 262, पथवारी के पीछे, अंसारी आरा मशीन, गुलअली नगरी, भीलवाड़ा।

—sd—

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा